

उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/90

पं. सं. 34-E/6 CPC/Travelling All / 08/E-IV

दिनांक 26/03/2009.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: - Travelling Allowance Rules - Implementation of the
Sixth Central Pay Commission - Journey on
Transfer.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. F(E)/2008/AL-26/15 दिनांक 19/3/2009
(आर.बी.ई.सं.53/2009) क्र.सं. पी.सी.-VI No.90 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक
01/12/2008(आर.बी.ई.सं.193/2008) की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 13500/56 के अन्तर्गत भेजी
जा चुकी है।

पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र का प्रादता अवगत भेजें।

सलग्न/यथोक्त

(Om Prakash)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएनयू, 12 बेन्तफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, आ0भा0आ0जा0/आ0जा0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 क रेलवे कालानी
लाजपतनगर, नईदिल्ली-24
4. महासचिव, आ0भा0आ0जा0 रेल कर्मचारी संगठन 17/1, एं0 प्रसन्न लेन नई दिल्ली।



Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Railways / Rail Mantralaya
(Railway Board)

PC-VI No. 90
RBE No. 53/2009

No. F(E)I/2008/AL-28/15

New Delhi, dated 19.03.09

The General Managers,
All Indian Railways etc.
(As per Standard Mailing List)

CORRIGENDUM

Sub: Travelling Allowance Rules - Implementation of the Sixth Central Pay Commission - Journey on Transfer.

Column (2) of the Table in Para C of Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/15 dated 01.12.08 on the above subject, may be corrected as under:-

Rate per km for transport by road (Rs.per.km)	READ
18.00 (Rs.0.30 per kg per km.)	18.00 (Rs.0.003 per kg /per km.)
9.00 (Rs.0.31 per kg per km.)	9.00 (Rs.0.0031 per kg /per km.)
4.60 (Rs.0.31 per kg per km.)	4.60 (Rs.0.0031 per kg/per km.)

- Hindi version is enclosed.
- Please acknowledge receipt.

(SONALI CHATURVEDI)
Deputy Director Finance (Estt.)
Railway Board.

No. F(E)I/2008/AL-28/15

New Delhi, dated 19.03.09

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).

For Financial Commissioner/Railways.

-----2/--

EV
RS-277
23/3

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI सं. 90
आर बी ई सं. 53/2009

सं. एफ (ई)/2008/एएल-28/15

नई दिल्ली, दिनांक: 19.03.2009

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें इत्यादि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

शुद्धिपत्र

विषय: यातायात भत्ता नियम - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन - स्थानांतरण पर यात्रा।

बोर्ड के 01.12.2008 के पत्र सं. एफ (ई)/2008/एएल-28/15 के पैरा ग में सारणी के कॉलम (2) का निम्नानुसार शुद्धिकरण किया जाए:-

सड़क द्वारा परिवहन के लिए प्रति कि.मी. दर (रु. प्रति कि.मी.)	पढ़ा जाए
18.00 (प्रति कि.ग्रा. प्रति कि.मी. 0.30/- रुपए)	18.00 (प्रति कि.ग्रा./प्रति कि.मी. 0.003/- रुपए)
9.00 (प्रति कि.ग्रा. प्रति कि.मी. 0.31/- रुपए)	9.00 (प्रति कि.ग्रा./प्रति कि.मी. 0.0031/- रुपए)
4.60 (प्रति कि.ग्रा. प्रति कि.मी. 0.31/- रुपए)	4.60 (प्रति कि.ग्रा./प्रति कि.मी. 0.0031/- रुपए)

2. कृपया पावती दें।

मोनाली चतुर्वेदी
(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड

सं. एफ (ई)/2008/एएल-28/15

नई दिल्ली, दिनांक: 19.03.2009

प्रतिलिपि: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) को प्रेषित।

मोनाली चतुर्वेदी
कृते वित्त आयुक्त, रेलें

सं. एफ (ई)/2008/एएल-28/15

नई दिल्ली, दिनांक: 19.03.2009

प्रतिलिपि प्रेषित: विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, इत्यादि।

मोनाली चतुर्वेदी
(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड